

**आदेश**

शासन संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 30.06.2014 की अनुपालना में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान राज्य के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अधिनियम की धारा 5(1) व 5(2) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से मनोनीत किया जाता है:-

**प्रथम अपीलीय अधिकारी**

मुख्य निरीक्षक,  
कारखाना एवं बायलर्स विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

| क्र.सं | पदनाम   | राज्य लोक सूचना अधिकारी /<br>राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी | कार्य क्षेत्र  |
|--------|---|---|--|
| 1.     | उप मुख्य निरीक्षक,<br>कारखाना एवं बायलर्स,<br>राजस्थान, जयपुर | राज्य लोक सूचना अधिकारी                                       | सम्पूर्ण राजस्थान  |
| 2.     | उप मुख्य निरीक्षक,<br>कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर<br>रीजन      | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | जयपुर, दौसा, टोंक<br>जिला  |
| 3.     | उप मुख्य निरीक्षक,<br>कारखाना एवं बायलर्स, कोटा               | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | कोटा, बारा एवं<br>शालावाड जिला   |
| 4.     | उप मुख्य निरीक्षक,<br>कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर             | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | जोधपुर एवं जैसलमेर<br>जिला   |
| 5.     | उप मुख्य निरीक्षक,<br>कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर             | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | उदयपुर एवं राजसमंद<br>जिला   |
| 6.     | उप मुख्य निरीक्षक,<br>कारखाना एवं बायलर्स, अलवर               | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | तिजारा तहसील को<br>छोड़कर समस्त अलवर<br>जिला                                   |
| 7.     | उप मुख्य निरीक्षक,<br>कारखाना एवं बायलर्स,<br>भीलवाडा         | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | जिला भीलवाडा   |
| 8.     | वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं<br>बायलर्स, बीकानेर              | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | जिला बीकानेर   |
| 9.     | वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं<br>बायलर्स, श्रीगंगानगर          | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | जिला श्रीगंगानगर एवं<br>पीलीबंगा तहसील   |
| 10.    | वरिष्ठ निरीक्षक, किशनगढ़                                      | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | किशनगढ़ उपखण्ड   |
| 11.    | वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं<br>बायलर्स, अजमेर                | राज्य सहायक लोक सूचना<br>अधिकारी                              | किशनगढ़ उपखण्ड को<br>छोड़कर अजमेर एवं<br>पाली जिले के सोजत<br>एवं जैतरण उपखण्ड |

|     |   |                               |   |
|-----|---|-------------------------------|---|
| 12. | वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, पाली      | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | सोजत एवं जैतरण उपखण्ड को छोड़कर समस्त पाली जिला |
| 13. | वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, भिवाडी    | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | तिजारा तहसील                                    |
| 14. | वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, चित्तौडगढ | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | चित्तौडगढ, प्रतापगढ जिला                        |
| 15. | वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, बांसवाडा  | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | बांसवाडा, डूंगरपुर                              |
| 16. | निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, भतरपुर           | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जिला                   |
| 17. | निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, बूंदी            | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | बूंदी एवं सवाई माधोपुर जिला                     |
| 18. | निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, बालोतरा          | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | बाडमेर जिला                                     |
| 19. | निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, सिरोही           | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | सिरोही एवं जालौर जिला                           |
| 20. | निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, मकराना           | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | नागौर जिला                                      |
| 21. | निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, हनुमानगढ         | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | हनुमानगढ जिला<br>पीलीबंगा तहसील को छोड़कर       |
| 22. | निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, सीकर             | राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी | सीकर, चूरु एवं झुंझुनू जिला                     |

आज्ञा से,

*Atkharne*  
15.05.18

(विश्व मोहन शर्मा)

IAS

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, श्रम एवं नियोजन, कारखाना एवं बायलर्स, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस चौराहा, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, कारखाना एवं बायलर्स, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स (मु0), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपके सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कराने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।

*Atkharne*  
15.05.18

संयुक्त शासन सचिव